

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी  
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)  
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)




सं. मानू/सीपीआईओ/मि.सं.97/2022/22

दिनांक : 14 फरवरी, 2022

अधिसूचना

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि कुलपति की अनुमति से प्रो.एस.के. इशतियाक़ अहमद, कुलसचिव, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को तत्काल प्रभाव से सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा -19 के अंतर्गत मानू के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

  
उप कुलसचिव  
(स्थापना एवं भर्ती-I अनुभाग एवं सीपीआईओ)

प्रति :

1. प्रो.एस.के.इशतियाक़ अहमद, कुलसचिव, मानू
2. अवर सचिव - सीयू./II, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
3. केन्द्रीय सूचना आयुक्त(सीआईसी), नई दिल्ली
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट
5. कुलपति/सम-कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी कार्यालय